गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.08.2016 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.08.2016 को सायं 4.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही –

01.	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो0 जे.एस. दांगी	सदस्य
03.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
04.	प्रो0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
05.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
06.	प्रो. मुकेश कुमार सिंह	सदस्य
07	प्रो. विशन सिंह राठौड़	सदस्य
08.	डॉ0 रश्मि अग्रवाल	सदस्य
09.	डॉ0 एम.सी. राव	सदस्य
10.	डॉ0 राकेश पाण्डेय	सदस्य
11	प्रो. बी.एन. तिवारी, कुलसचिव (कार्यदाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

विषय क्र 1 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.08.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.08.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र 2 **विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को प्राद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित बी.टेक पाठ्यकम में प्रवेश दिये जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के सक्षम निकायों द्वारा विभिन्न गैर–व्यवसायिक पाठ्यकमों में सुपरनियूमेरेरी सीट के संबंध में पारित पूर्व निर्णयों का पालन किया जाय।

विषय क्र 3 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु विनियम 2016 (चतुर्थ संशोधन) को अंगीकृत किये जाने पर विचार करना।**

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने अंकित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफों की भर्ती हेतु विनियम 2016 (चतुर्थ संशोधन) दिनांक 11.07.16 को राजपत्र में प्रकाशित किया है।

निर्णय लिया गया कि शिक्षकों शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित विनियम 2016 (चतुर्थ संशोधन) को अंगीकृत किया जाय।

विषय क्र 4 **मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार जम्मु–कश्मीर के छात्रों हेतु 02 सीट सुपरन्यूमरेरी कोटा के अंतर्गत सृजन करने बाबत।**

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने अंकित किया कि सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र कमांक F.1-1/2012(SA-III) दिनांक 11.07.16 द्वारा सूचित किया गया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग Section 2(f) एवं 12(B) के तहत मान्यता प्राप्त या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त हो, द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में जम्मु कश्मीर के छात्रों के लिए 02 सीट सुपरन्यूमरेरी के तहत आरक्षित किया जाय।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त दिशा निर्देश अनुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों (एआईसीटीई द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों सहित) में जम्मु कश्मीर के छात्रों के लिए 02 सीट सुपरन्यूमरेरी के तहत आरक्षित किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त निर्णय की सूचना से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा एआईसीटीई को सूचित किया जाय।

विषय क्र 5 **शोध उपाधि कार्यकम सत्र 2016–17 हेतु शोध प्रवेश परीक्षा (छूट प्राप्त) वर्ग के अंतर्गत विज्ञापन जारी करने बाबत।**

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। दिव्यांगों के लिए नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था रोस्टर में दर्शाया जाय। साथ ही शोध प्रवेश परीक्षा (छूट प्राप्त) वर्ग के अंतर्गत आवश्यक अर्हता संबंधी प्रस्ताव में सुझाये गये संशोधनों को शामिल करते हुए नवीन प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र 6 **कुलपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में चल रहे गैर–व्यवसायिक पाठ्यकमों में 02 अतिरिक्त सीट सृजन करने पर विचार करना।**

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

अ.अ.वि.क. 1 **अधिष्ठाता, कला अध्ययनशाला द्वारा स्थायी समिति के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि अंग्रेजी विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यकम फ्रेंच एवं जर्मन की अध्यापन हेतु शिक्षकीय पदों का सृजन नहीं हुआ है। फलस्वरूप अध्ययन अध्यापन कार्य में असुविधा हो रही है।**

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि 13वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त विषयों के शिक्षकीय पदों के सृजन का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

कुलपति/अध्यक्ष